


कार्यालय संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा), चूरु संभाग चूरु

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-संनि/स्कूल-शिक्षा/चूरु/संस्था-ब/डीपीसी 19-20/व.अ.हिन्दी/2019 दिनांक 28.06.2019 के द्वारा पदोन्नति पर वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी के पदस्थापन आदेश सं. 01 एवं 02 जारी किये गये थे।

उक्त आदेशों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता मोहर पर अंकित नाम सुरेन्द्र सिंह राटौड़ के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह गौड़ पढा जावे। उक्त आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।




(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

क्रमांक:-संनि/स्कूल-शिक्षा/चूरु/संस्था-ब/डीपीसी 19-20/व.अ.हिन्दी/संशोधन/2019 दिनांक. 28.06.2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
2. श्रीमान उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप-2 शासन सचिवालय जयपुर
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. श्रीमान सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
7. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिक को यथासमय कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कार्मिक लिखित में पदोन्नति का परित्याग नहीं देता है तो आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। पदोन्नति परित्याग की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किये जाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।
8. संबंधित कार्मिक
9. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु